



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

No. BSER/IT&CCell/2019/39

Date : 01 March 2019

वर्ष 2019 की परीक्षाओं के परिणाम बाबत पंजीयन सूचना

वर्ष 2019 की सभी मुख्य परीक्षाओं के परिणाम वेबसाइट, मोबाइल व आईवीआरएस पद्धति से कार्यालय को सेवा देने के लिए फर्मों के पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 23 मार्च 2019 तक आमंत्रित हैं। आवेदन के साथ फर्म का कार्य क्षेत्र, संबंधित कार्य का अनुभव तथा वर्तमान में इस प्रकार की दी जा रही सेवाओं का विस्तृत विवरण/प्रमाण संलग्न होना चाहिए। उपरोक्त कार्य उन्हीं चयनित फर्मों से कराया जाएगा जो वास्तव में स्वयं सेवा प्रदाता है अथवा स्वयं द्वारा सेवा देने हेतु अन्य फर्मों का नेटवर्क प्रयोग करने हेतु कोलोबोरेशन किया हुआ है। इस हेतु फर्मों को उपरोक्त विवरण मय प्रमाण सहित आवेदन ₹100 (₹ सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर संलग्न शपथ पत्र के रूप में तथा पंजीयन शुल्क ₹100000 (₹ एक लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नाम अथवा नगद राशि दिनांक 23 मार्च 2019, 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से बोर्ड कार्यालय में सेकेंडरी, प्रवेशिका, सीनियर सेकेंडरी, वरिष्ठ उपाध्याय व कक्षा 8 के परिणाम देने के लिए जमा करानी होगी।

आवेदन के लिफाफे पर वर्ष 2019 के परीक्षा परिणाम बाबत पंजीयन हेतु आवेदन अंकित किया जाना होगा।

सचिव

बॉण्ड

मैं पुत्र श्री
निवासी..... अधिकृत प्रशासनिक प्रतिनिधि
(फर्म का नाम) की ओर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर (बोर्ड) को बोर्ड परीक्षा 2019 परिणाम इन्टरनेट/एस.
एम.एस. व अन्य के माध्यम से निम्नानुसार उपलब्ध कराने की अभिस्वीकृति देता हूँ :-

1. यह कि फर्म उक्त सुविधा इन्टरनेट/एस.एम.एस./आई.वी.आर.एस. इत्यादि हेतु निम्न वेब साईट/टेलीफोन/मोबाईल आदि पर सेवाएं देगी।

इन्टरनेट

Sl No	Name of Exam	Web Site

एस.एम.एस.

Sl No	Name of Exam	SMS to	Desription (Syntex and operator)

आई.वी.आर.एस

SI No	Name of Exam	Phone No	Description

उपरोक्त में कोई फेरबदल नहीं किया जावेगा।

- यह कि परिणाम हेतु बोर्ड द्वारा गोपनीय कोड सूचना बोर्ड के तकनीक अधिकारी (कम्प्यूटर) से परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 मिनट पूर्व ही फर्म द्वारा लिये जा सकेंगे। फर्म उक्त सूचना को परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व पूर्ण रूप से गोपनीय रखेगी।
- यह कि बोर्ड यह सुविधा वर्तमान में केवल परीक्षा 2019 तक के लिये ले रहा है। तत्पश्चात् बोर्ड स्तर पर आपसी सहमति से निर्णय लिया जाकर इसे Extension दिया जा सकता है।
- यह कि फर्म द्वारा उपरोक्त समस्त सेवा बोर्ड को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। बोर्ड केवल डाटा उपलब्ध करायेगा व इसके अलावा बोर्ड पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं होगा।
- यह कि फर्म द्वारा बोर्ड को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का प्रचार प्रसार फर्म द्वारा अपने स्तर पर ही किया जायेगा।
- यह कि फर्म द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं में यदि कोई तकनीकी अथवा अन्य खराबी आती है तो फर्म द्वारा उक्त तकनीकी खराबी को 24 घण्टों के भीतर ठीक करना होगा। अगर फर्म द्वारा उक्त समय में सुविधाओं को संचालित नहीं किया जा सका तो बोर्ड अपने स्तर पर उक्त सुविधाओं के लिये अन्य व्यवस्था फर्म को की जोखिम एवं लागत पर कराने के लिये सक्षम एवं स्वतन्त्र होगा।
- यह कि बोर्ड द्वारा फर्म को परीक्षा परिणाम की सी.डी. उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोर्ड कार्यालय में आकर प्राप्त करनी होगी। उक्त हेतु फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा की अधिकृत प्रतिनिधि अपने साथ इसका प्रमाण लेकर प्रस्तुत हो।
- यह कि फर्म यह सुनिश्चित करेगी की परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा बताई दिनांक व समय पर ही उपलब्ध हो एवं परिणाम जानने का Response Time कम से कम हो एवं फर्म द्वारा आवश्यक Disclaimer भी प्रदर्शित किया जावे।
- यह कि फर्म द्वारा किसी भी तरह के अश्लील एवं अनैतिक विज्ञापन वेबसाइट, दूरभाष, मोबाईल इत्यादि पर प्रदर्शित नहीं किये जायेगे। केवल शालीन व शैक्षिक विज्ञापन का ही प्रदर्शन किया जायेगा। विज्ञापनों को बोर्ड के तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर) (ACP) से जारी करने से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।
- फर्म द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनके Server पर Fire wall एवं Security System इत्यादि लगाये हुये हैं, जिससे किसी भी प्रकार से अनाधिकृत व्यक्ति अथवा वायरस परीक्षा परिणाम वाले सरवर को Access न कर सके।
- बोर्ड द्वारा दी गई परीक्षा परिणाम सूचना केवल फर्म द्वारा ही उपयोग में ली जायेगी एवं यह इसे किसी भी अन्य फर्म/व्यक्ति को समान अथवा अलग प्रकृति के कार्यों के लिये नहीं देगी।
- यह कि फर्म का उक्त सुविधा Exclusive नहीं दी जा रही है एवं बोर्ड द्वारा अन्य समान प्रकृति का कार्य कर रही फर्म को भी बोर्ड का परीक्षा परिणाम दिया जा सकता है।
- यह कि यदि बोर्ड यह महसूस करती है कि फर्म द्वारा उक्त सूचना परीक्षार्थी को ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं हो रही है तो फर्म को आगे घोषित होने वाले परीक्षा परिणाम नहीं दिये जायेगे।
- फर्म द्वारा प्रदर्शित प्रत्येक अंकतालिका पर निम्न वाक्य प्रदर्शित होना चाहिये
“आप अपनी अंकतालिका की प्रति अपने जिले के विधार्थी सेवा केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं।”

(फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय सील)

सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

15. यह कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय का अधिकार अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के पास सुरक्षित रहेगा व उनका निर्णय ही फर्म व सम्बन्धित को मान्य होगा।
16. यह कि फर्म मोबाईल पर परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व भ्रामक विज्ञापन नहीं देगी जिससे परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने से भ्रमित हों।
17. यह है कि फर्म को परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक माह बाद आवश्यक रूप से उनके द्वारा परीक्षावार रिजल्ट हिट्स/फोन कॉल्स का विवरण बोर्ड को ई-मेल से भेजना सुनिश्चित करना होगा।
18. फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त कार्य में केवल दो व्यक्ति ही अधिकृत किये जावें जिसमें एक तकनीकी कार्य एवं दूसरे प्रशासनिक कार्य हेतु अधिकृत होंगे। उक्त प्रतिनिधि बोर्ड से सम्पर्क में उक्त अवधि के दौरान रहेंगे। उक्त प्रतिनिधियों के नाम, पद, फोन नम्बर व ई-मेल आई.डी. से इस कार्यालय को अनुबन्ध के समय अवगत करना होगा।
19. यह कि फर्म द्वारा बोर्ड के परीक्षा परिणाम के पूर्वाभ्यास हेतु अनुबन्ध के तुरन्त पश्चात पूर्व वर्ष के डेटा सेम्पल के आधार पर बोर्ड को परिणाम बताने की प्रक्रिया की कार्यवाही करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम सुचारू रूप से एवं त्रुटिरहित हो।
20. उक्त बिन्दुओं की पूर्ण पालना बिना बाधा फर्म से सुनिश्चित की जावेगी।

.....
(फर्म प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय सील)

.....
सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

पता

.....

.....

.....

.....

टेलीफोन

.....

मोबाईल

.....

EMail

.....

गवाह :-

1.

1.

2.

2.